भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3538

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय

3538. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक राज्य में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या महाराष्ट्र सहित देश में कई शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले और आदिवासी क्षेत्र हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों और जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जनप्रतिनिधियों से मांग और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हो;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हो;
(ङ) सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए अंतिम निर्णय कब तक लेने की संभावना है; और
(च) क्या सरकार के पास पिछड़े जिलों और जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों को स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है, जब वे मंत्रालय या भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा प्रायोजित हों और एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु उनके द्वारा संसाधन प्रदान करने की प्रतिबद्धता और सरकार का आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध हो। विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी अन्य प्रस्तावों के साथ 'चुनौती पद्धति" के तहत प्रतिस्पर्धा करनी होती है।

प्रस्ताव में निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

(i) प्रायोजक एजेंसी को नि:शुल्क भूमि का स्थायी स्थानांतरण/नाममात्र के किराए अर्थात 1 रूपए प्रतिवर्ष पर 99 वर्षों की लीज पर हैदराबाद और बंगलौर महानगर में 2.50 एकड़ से 5.00 एकड़ भूमि, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) वाले जिले/पर्वतीय क्षेत्रों/सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और अन्य समतल स्थानों में 5 एकड़ से 10 एकड़ भूमि के अनुसार प्रदान करना अपेक्षित है।

(ii) प्रायोजक अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर जब तक स्थायी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक स्कूल संचालित करने के लिए 7m x 7m के 15 कमरों वाला एक स्वतंत्र किरायामुक्त अस्थायी स्थान प्रदान करना होगा।

(iii) प्रस्तावित विद्यालय में नियुक्त कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को आवासीय स्थान प्रदान किया जाएगा।

(iv) स्टेशन पर रक्षा/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के न्यूनतम 500 कर्मचारियों का व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से संकेंद्रण (वामपंथी उग्रवाद वाले जिलों/पर्वतीय क्षेत्रों/पूर्वोत्तर के मामले में 200)।

(v) प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए पूर्वोक्त वरीयता श्रेणी में न्यूनतम 200 विद्यार्थियों की उपलब्धता।

(ख): जी हां। प्रारंभ में उन क्षेत्रों जहां 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13%) से कम थी और महिला-पुरूष साक्षरता अंतराल 21.59% के राष्ट्रीय औसत से अधिक था, वहां के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) को ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया गया था। ये दोनों मापदंड भारत के

महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे ब्लॉकों को जहां 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13%) से कम है, को शामिल करने के लिए 2010 में ईबीबी की परिभाषा में संशोधन किया गया है। सितम्बर, 2017 में स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एमडीएमएस) का उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार किए जाने के समय महाराष्ट्र के 43 ब्लॉकों सहित देश में 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक हैं।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र के 24 उप जिलों अर्थात ब्लॉक/तालुका/तहसील सहित 564 उप जिलों अर्थात ब्लॉक/तालुका/तहसील में 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय आबादी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले 50% एसटी आबादी ओर कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले 564 उप जिलों में शामिल नहीं हैं।

(ग) और (घ): केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों सहित महाराष्ट्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों और जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु जन प्रतिनिधियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

(च): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना पिछड़े जिलों अथवा जनजातीय क्षेत्रों के मापदंडों के आधार पर नहीं की जाती है।

*****